न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीलडिक्री./टीए./3688/2003/हनुमानगढ

1 हेमराज पुत्र दल्लूराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार(राजस्व)भादरा जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेण्ट

खण्ड–पीठ
श्री वी. श्रीनिवास , अध्यक्ष
श्री चिरंजीलाल दायमा, सदस्य

उपस्थितः
श्री मनीष पाण्ड्या, अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री वी.पी.सिंह, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 19.11.18

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–5–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी/वादी द्वारा सहायक कलेक्टर, नोहर के न्यायालय में एक वाद राजसथान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 का प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नंबर 404, खसरा नंबर 400 व 412 की 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाके मौजा कलाना तहसील भादरा में पिछले 40–50 वर्षो से अपीलाण्ट/वादी के कब्जे में पूर्वजों के समय से ही है जो वादी के अन्य खातेदारी के सम्पाश्वर्थ है जिनका एक ही खेत है बीचमें कोई सीमा नहीं है किन्तु जमाबन्दी संवत

2029 से 38 में वादी को खातेदार अंकित नहीं कर उसे गोचर दर्ज कर दिया गया है । राजस्व अभिलेख में गोचर की प्रविष्टि से प्रेरित होकर प्रतिवादी संख्या 1 अपीलाण्ट/वादी को धारणच्युत करने के आशय से नोटिस दे रहा है । अतः उक्त विवादित भूमि के वादी को खातेदार अंकित कर गोचर शब्द अभिलेख से विलोपित किया जावे एवं अपीलाण्ट को धारणच्युत नहीं किए जाने संबंधी स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारितकी जावे । उक्त वाद का जबावदावा रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी द्वारा दिया गया । वाद एवं जबावदावे के आधार पर 4 तनकियात कायम की गई जो इस प्रकार थी–

1 आया वाद भूमि रोही मौजा कलाना के खसरा नंबर 404, 400, 412 की 5 बीघा 10 बिस्वा पर वादी संवत 2012 से लगातार कब्जा काश्त करता आ रहा है ।

2 आया वादी वादी भूमि पर संवत 2012 से पूर्व से लगातार कब्जा काश्त होने के कारण उसका खातेदार काश्तकार हो गया ।

3 आया वाद भूमि जमाबंदी में गोचर भूमि के रूप समेंसही दर्ज है तथा वादी को इस भूमि पर कोई हक प्राप्त नही है ।

4 अनुतोष

इसके पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5–2–2002 द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई । उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट द्वारा एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 17–5–2003 से स्वीकार कर लिया । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–5–2003 के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

उपखण्ड अधिकारी, भादरा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 5–2–2002 में यह आदेशित किया है कि वादी विवादित आराजीयात पर 40–50 वर्षो से काश्त करता आ रहा है एवं वादी से पूर्व वादी के पूर्वज इस पर काश्त करते रहे हैं । इस प्रकार वादी की विवादित भूमि जो कि गोचर दर्ज की गई है वह गलत रूप से की गई है । वादी को कभी भी बेदखल नहीं किया गया इस प्रकार साबित होता है कि विवादित भूमि वादी की गोचर भूमि जो दर्ज की गई है वह गलत है तथा यह तनकी भी

प्रतिवादी साबित करने में सफल नहीं रहा है । वादी अपना दावा को साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है । अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा कलाना के खसरा नंबर 404 में 2 बीघा 400 में 2 बीघा , 412 1 बीघा 10 बिस्वा कुल 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है जमाबंदी से गोचर भूमि कलमजन कर वादी के नाम खातेदारी दर्ज की जावे प्रतिवादी का जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी को विवादित भूमि से बेदखल नही करे ।

उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17–5–2003 में यह यह माना है कि अधीनस्थ न्यायालय ने संवत 2012 से लगातार कब्जा काश्त होने के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया है परंतु पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो कि रेस्पोडेण्ट का विवादित भूमि पर संवत 2012 से कब्जा साबित हो । इस संबंध में रेस्पोडेण्ट द्वारा कोई खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की गई है अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिकूल धारण परिपक्व होने के आधार पर रेस्पोडेण्ट को खातेदार घोषित किया है अधीनस्थ न्यायालय ने मौखिक कथना के आधार पर निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है । वादी राजकीय भूमि पर काबिज है और वादी के विरूद्ध तावादन की कार्यवाही होती रही । इस प्रकरण में रेस्पोडेण्ट का कब्जा बतौर अतिक्रमी है । इसलिए राजकीय भूमि पर अतिक्रमी को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है । यह तथ्य पूर्णतया साबित है कि रेस्पोडेण्ट बतौर अतिक्रमी राजकीय भूमि पर काबिज है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी दस्तावेज के रेस्पोडेण्ट को मोखिक कथनों के आधार पर गोचर भूमि पर खातेदारी अधिकार दिए है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में धारा 16 के अनुसार गोचर भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं । अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 5–2–2002 अपास्त की गई ।

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है ।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि जमाबंदी जमाबंदी संवत 2029 से 2038 में वादी की भूमि को गोचर भूमि दर्ज किया गया । राजस्व अपील प्राधिकारी को अधिक से अधिक प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए । यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित भूमि 5 बीघा 10 बिस्वा बारानी भूमि है जो छोटी पट्टी की परिभाषा में आती है जिससे अपीलीय न्यायालय का यह दायित्व था कि वादी को यह भूमि छोटी पट्टी के रूप में आवंटन का पात्र माकर प्रतिप्रेषित करते । अतः अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 5–2–2002 को यथावत रखे जाने के आदेश दिए जावें ।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित आराजीयात गैर मुमकिन गोचर भूमि है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं । अपीलाण्ट अपने दावे को पुराने कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाह रहे हैं जब कि राजकीय भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं । अपीलाण्ट की हैसियत एक मात्र अतिक्रमी की है । अतिक्रमी को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होते हैं । अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह उसका पुराना कब्जा काश्त साबित हो । अतः अपील खारिज की जावें।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि जमाबन्दी संवत 2016 प्रदर्श 2 से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात गोचर भूमि के रूप में दर्ज है अपीलाण्ट के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं जिससे यह भी स्पष्ट होता है

कि उसने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है । पैनल्टी की रसीद प्रस्तुत की गई है उससे भी यह स्पष्ट होता है कि उसने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है । खसरा गिरदावारी संवत 2031 से–34 में भी (प्रदश–12) से भी स्पष्ट है कि विवादित आराजीया गोचर भूमि के रूप में दर्ज है । सवंत 2034 में इस भूमि पर हेमराज का नाजायज कब्जा दर्ज किया हुआ है । गोचर भूमि पर नाजायज कब्जा काश्त किए जाने से अतिक्रमी को किसी प्रकार के अधिकार नहीं मिल सकते है। केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत कब्जा नहीं माना जा सकता है । विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट का कब्जा संवत 2012 से लगातार माना है जिसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । हक व अधिकारों के लिए यह आवश्यक है कि कब्जा काश्त विधिसम्मत होना चाहिए । बिना किसी अधिकारों के राजकीय भूमि पर कब्जा किए जाने से उसे किसी प्रकार के अधिकार नहीं मिल सकते हैं । अपीलाण्ट की हैसियत अतिक्रमी की रहती है। अपीलाण्ट का अतिक्रमण होना तहसीलदार के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6–2–91 से भी स्पष्ट होता है । इस निर्णय के द्वारा अपीलाण्ट को बेदखल कर फसल को नष्ट करने के आदेश देते हुए शास्ति आरोपित की गई है । ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की अपील में कोई सार नहीं है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है। राजस्व अपील प्रधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–5–2003 यथावत रखा जाता है

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिरंजी लाल दायमा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष